संस्थागत वित्त संचालनालय
मध्यप्रदेश

Website: www.dif.mp.gov.in

राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ
विन्ध्याचल भवन
"ग" खण्ड, प्रथम तल
भोपाल - 462004

☎ - (0755) 2551199, 2553108
फैक्स - (0755) 2551387
ई-मेल : difbho@mp.gov.in

कमांक ब्रिस्क/2013-14/संविसं/...1643
भोपाल दिनांक ..24... मई, 2013

प्रति

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, मध्यप्रदेश
3. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, निजी व्यवसायिक बैंक, मध्यप्रदेश
4. समस्त अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्यप्रदेश
5. समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक, मध्यप्रदेश

विषयः **ब्रिस्क योजना अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में वसूली हेतु लक्ष्यों का निर्धारण तथा मार्गदर्शी अनुदेशों का निर्धारण**

ब्रिस्क प्रबन्ध समिति के निर्णय अनुसार (1) दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति में ऑन-लाईन लंबित आर.आर.सी के आधार पर वर्ष 2013-14 में वसूली हेतु निर्धारित लक्ष्य; एवं (2) ब्रिस्क योजना अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में वसूली हेतु मार्गदर्शी अनुदेशों की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। अर्जित वसूली की जानकारी संचालनालय द्वारा ऑन-लाइन आर.आर.सी. प्रोसेसिंग हेतु विकसित "वेब एनेबल्ड ब्रिस्क सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन" में दर्ज की गई वसूली को ही मान्य किया जायेगा।

निर्धारित लक्ष्य एवं मार्गदर्शी अनुदेशों की प्रति संचालनालय की वबसाईट पर भी उपलब्ध है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

23.5.2013
(आशीष उपाध्याय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
सह आयुक्त, संस्थागत वित्त, म.प्र.

कमांक ब्रिस्क/2013-14/संविसं/...1644
भोपाल दिनांक ..24... मई, 2013

प्रतिलिपि, सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकितः

1. यमस्त सम्भागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
2. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश, भोपाल

संलग्नः उपरोक्तानुसार

23.5.2013
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
सह आयुक्त, संस्थागत वित्त
मध्यप्रदेश

विषयः **<u>ब्रिस्क योजना अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में वसूली हेतु मार्गदशी अनुदेशों का निर्धारण</u>**

ब्रिस्क योजना वर्ष 2013-14 के दौरान उत्कृष्ट वसूली निष्पादन करने वाले ज़िलों के कलेक्टर, अग्रणी ज़िला प्रबन्धक एवं राजस्व अधिरियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिये निम्नांकित मार्गदर्शी अनुदेश निर्धारित किये जाते हैं:-

अनर्जक परिसम्पत्ति (Non Performing Asset) के बढ़ते आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए तथा ब्रिस्क योजना को कारगर बनाने के उद्देश्य से संचालनालय द्वारा On-line RRC Processing हेतु विकसित "Web-enabled BRISC Software Application" दिनांक 1 अप्रेल 2010 से प्रदेश में संचालित है। इस एप्लीकेशन के कियान्वयन हेतु मैदानी स्तर पर कार्यरत संबंधित राजस्व एवं बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों को ज़िला मुख्यालय स्तर पर तथा वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग द्वारा प्रशिक्षित किया गया है साथ ही फोन/मोबाइल/ई-मेल के माध्यम से सॉफ्टवेयर के संचालन में सहायता हेतु 24 घण्टे प्रदान की जा रही है। इन प्रयासों के दृष्टिगत दिनांक 1 अप्रैल 2011 से केवल ऑन-लाई साफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त वसूली की जानकारी को ही ब्रिस्क पुरस्कार हेतु मान्य किया जायेगा।

उक्तानुसार ब्रिस्क योजना अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में ''वेब इनएबल्ड ब्रिस्क सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन'' में दर्ज दिनांक **<u>30 अप्रैल 2014</u>** तक अर्जित वसूली मान्य होगी। इस हेतु उत्कृष्ट वसूली निष्पादित करने वाले ज़िलों के कलेक्टर एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक व राजस्व अधिकारियों को प्रेरित तथा प्रोत्साहित करने के लिए **रू**परेखा/मार्गदशी अनुदेश एवं मापदण्ड/नियमावली (Guidelines/Rules) निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

<u>मापदण्ड/नियमावली</u> (Guidelines/Rules)

1. आलोच्य वर्ष में ज़िले हेतु निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति;

2. ब्रिस्क योजना के प्रारम्भ यथा वर्ष 1995-1996 से आलोच्य वर्ष यथा 2013-14 तक की अवधि हेतु देय सम्पूर्ण राज्यांश राशि (कुल वसूली का 0.5 प्रतिशत मान से) संचालनालय में दिनांक 31 मई 2014 तक निम्न प्रारूप में प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा । निर्धारित समयावधि तक राज्यांश की राशि प्राप्त **<u>नहीं</u>** होने पर ऐसे ज़िले को अपात्र माना जाएगा (प्रपत्र-1);

- राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ को आलोच्य वर्ष हेतु देय राज्यांश;

प्रपत्र-1

ज़िले का नाम	वर्ष 2013-14 के दौरान ज़िले में अर्जित कुल वसूली	0.5 प्रतिशत दर से देय राज्यांश	विगत वर्षो की लम्बित रोशि	मुख्यालय प्रेषित राज्यांश	ड्राफ्ट क्रमांक व दिनांक	टीप

3. आलोच्य वर्ष के दौरान ज़िले के पात्र राजस्व अधिकारियों को उनके द्वारा वसूल की गई कुल राशि का एक प्रतिशत की दर से प्रोत्साहिकी वितरण का प्रमाण-पत्र का निम्न प्रारूप में प्रेषण (प्रपत्र-2);

- ज़िले द्वारा आलोच्य वर्ष हेतु राजस्व अधिकारी को देय प्रोत्साहिकी का प्रमाण पत्र;

प्रपत्र-2

ज़िले का नाम	ज़िले में पदस्थ राजस्व अधिकारी का नाम	राजस्व अधिकारी द्वारा अर्जित वसूली	1.0 प्रतिशत की दर से राजस्व अधिकारी को देय प्रोत्साहिकी	ड्राफ्ट/ चैक कमांक एवं दिनांक	रिमार्क

4. आलोच्य वर्ष के दौरान ज़िले में कार्यरत कलेक्टर व उनके कार्यकाल की अवधि के दौरान अर्जित वसूली की जानकारी (प्रपत्र-3);

- आलोच्य वर्ष के दौरान ज़िले में पदस्थ कलेक्टर, जिला ब्रिस्क प्रकोष्ठ प्रभारी एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक के नाम व उनके कार्यकाल अवधि में अर्जित वसूली, निम्न प्रारूप में;

प्रपत्र-3

ज़िले का नाम	ज़िले में पदस्थ कलेक्टर के नाम	ज़िले में पदस्थ कलेक्टर के कार्यकाल की अवधि	ज़िले में पदस्थ कलेक्टर के कार्यकाल की अवधि के दौरान अर्जित वसूली	रिमार्क

5. आलोच्य वर्ष के दौरान ज़िले में कार्यरत अग्रणी ज़िला प्रबन्धक व उनके कार्यकाल की अवधि के दौरान अर्जित वसूली की जानकारी (प्रपत्र-4)।

प्रपत्र-4

ज़िले का नाम	ज़िले में पदस्थ अग्रणी ज़िला प्रबन्धक के नाम	ज़िले में पदस्थ अग्रणी ज़िला प्रबन्धक के कार्यकाल की अवधि	ज़िले में पदस्थ अग्रणी ज़िला प्रबन्धक के कार्यकाल की अवधि के दौरान अर्जित वसूली	रिमार्क

ब्रिस्क योजना के प्रारम्भ यथा वर्ष 1995-1996 से आलोच्य वर्ष यथा वर्ष 2013-14 तक समस्त वर्षो का अंकेक्षण कराना। राज्य शासन के आदेश कमांक ब्रिस्कअंकेक्षण/संविसं/2012/1573 दिनांक 05 जूलाई 2012 अनुसार ब्रिस्क लेखों के प्रथम 4 वर्ष की अवधि की संपरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट से तथा पांचवें वर्ष का अंकेक्षण स्थानीय निधि संपरीक्षा से कराये जाने के निर्देश हैं।

विशेष टीप:- **निर्धारित मापदण्डों/नियमावली में से किसी भी एक मापदण्ड में चूक करने पर ज़िले के अधिकारी (यथा कलेक्टर एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक) को शील्ड, प्रशस्ति-पत्र एवं प्रोत्साहिकी प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी एवं समग्र राज्यांश (विगत वर्षो सहित, यदि अभी भी शेष हों) प्राप्त न होने पर ज़िले की वसूली को प्रगति पत्रक में शामिल नहीं किया जायेगा।**

उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के लिये प्रोत्साहन के प्रावधान की रूपरेखा :

1. **राज्य स्तर पर सर्वाधिक (प्रतिशत) वसूली पुरस्कार:** आलोच्य अवधि में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध सर्वाधिक प्रतिशत वसूली अर्जित करने वाले तीन ज़िलों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार स्वरूप शील्ड तथा प्रशस्ति-पत्र सम्बन्धित कलेक्टर एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक को राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय ब्रिस्क पुरस्कार वितरण समारोह में एवं व्यक्तिगत पारितोषिक निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने पर दिये जायेंगे।

2. **आदिवासी बाहुल्य ज़िलों में राज्य स्तर पर सर्वाधिक (प्रतिशत) वसूली पुरस्कार:** राज्य स्तर पर पुरस्कृत ज़िलों को छोड़कर आलोच्य अवधि में आदिवासी बाहुल्य (Tribal) ज़िलों (यथा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगौन, अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, सिवनी, मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल एवं सीधी) में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध सर्वाधिक प्रतिशत वसूली अर्जित करने वाले तीन ज़िलों को प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार स्वरूप शील्ड एवं संबंधित कलेक्टर तथा अग्रणी ज़िला प्रबन्धक को राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय ब्रिस्क पुरस्कार वितरण समारोह में एवं व्यक्तिगत पारितोषिक निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने पर दिये जायेंगे।

3. **संभाग स्तर पर सर्वाधिक (प्रतिशत) वसूली पुरस्कार:** राज्य स्तर पर सर्वाधिक प्रतिशत वसूली अर्जित करने वाले ज़िलों को छोड़ कर आलोच्य अवधि में प्रत्येक संभाग में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध सर्वाधिक प्रतिशत वसूली अर्जित करने वाले ज़िले को पुरस्कार स्वरूप शील्ड एवं सम्बन्धित कलेक्टर तथा अग्रणी ज़िला प्रबन्धक को राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय ब्रिस्क पुरस्कार वितरण समारोह में एवं व्यक्तिगत पारितोषिक निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने पर दिये जायेंगे।

4. **राज्य स्तरीय राजस्व (वसूली) अधिकारियों को पुरस्कार:** आलोच्य वर्ष की अवधि के दौरान राज्य स्तर पर सर्वाधिक वसूली अर्जित करने वाले तीन राजस्व अधिकारियों (तहसीलदार/अपर-तहसीलदार/नायब-तहसीलदार) को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति-पत्र राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय ब्रिस्क पुरस्कार वितरण समारोह में दिये जायेंगे।।

5. **<u>ज़िला स्तरीय राजस्व (वसूली) अधिकारियों को पुरस्कार</u>:** उपरोक्त वर्ग (category) के अतिरिक्त आलोच्य वर्ष की अवधि के दौरान प्रत्येक ज़िले में सर्वाधिक वसूली अर्जित करने वाले एक राजस्व अधिकारी (तहसीलदार/ अपर-तहसीलदार/ नायब-तहसीलदार) को पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा।

6. शील्ड ज़िले के नाम से होगी जो ज़िला मुख्यालय में ही रखी जायेगी, जबकि प्रशस्ति-पत्र व्यक्तिगत होगा।

7. आलोच्य वर्ष के दौरान एक से अधिक अधिकारी (यथा कलेक्टर/अग्रणी ज़िला प्रबन्धक) के कार्यरत होने पर अधिक वसूली करने वाले अधिकारी को राज्य स्तरीय ब्रिस्क पुरस्कार वितरण समारोह में शील्ड कलेक्टर एवं अग्रणी ज़िला प्रबन्धक को संयुक्त रूप से दी जायेगी।

<u>वसूली अर्जित करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहिकी का निर्धारण</u>:

पुरस्कार प्राप्त ज़िलों के कलेक्टर एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक को उनके कार्यकाल में वसूली गई राशि का क्रमशः 0.10 एवं 0.05 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहिकी देय होगी। विद्यमान प्रक्रियानुसार प्रोत्साहिकी राशि का नग़द भुगतान न करते हुए पुरस्कार प्राप्त अधिकारी द्वारा क्रय की गई कोई वस्तु, वित्तीय योजनाओं में निवेश, उच्च शिक्षण शुल्क का भुगतान अथवा निजी यात्रा के टिकिट/प्रतिभूति की रसीद/बिल के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा। व्यय की गई राशि निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक होने की स्थिति में आधिक्य राशि सम्बन्धित द्वारा वहन की जायेगी।

×××××